

संदर्भ: आईआरडीएआई/जीए&एचआर/ओआरडी/207/11/2023
Ref: IRDAI/GA&HR/ORD/207/11/2023

दिनांक / Date: 24/11/ 2023

आदेश

ORDER

विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग ने राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-12082023-248045 दिनांकित 11.08.2023 के माध्यम से डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी अधिनियम, 2023) को अधिसूचित किया। इस अधिनियम का उद्देश्य डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करना है जो व्यक्तियों के अपने व्यक्तिगत डेटा की रक्षा करने के अधिकार और ऐसे व्यक्तिगत डेटा को वैध उद्देश्यों के लिए संसाधित करने की आवश्यकता और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों को मान्यता देता है।

The Ministry of Law and Justice, Legislative Department vide Gazette Notification No.CG-DL-E-12082023-248045 dated 11.08.2023 notified the Digital Personal Data Protection Act, 2023 (DPDP Act, 2023). The Act aims to provide for setting out a comprehensive framework for the processing of digital personal data in a manner that recognises both the right of individuals to protect their personal data and the need to process such personal data for lawful purposes and for matters connected therewith or incidental thereto.

2. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, संपूर्ण बीमा क्षेत्र पर डीपीडीपी अधिनियम, 2023 के निहितार्थों की जांच करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों से युक्त एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है: -

In view of the above, a Task Force consisting of the following members has been constituted to examine the implications of the DPDP Act, 2023 on the insurance sector as a whole: -

- i) श्री रणदीप सिंह जगपाल, कार्यकारी निदेशक (गैर-जीवन), आईआरडीएआई और हितधारकों की समिति के सदस्य - अध्यक्ष,
Mr. Randip Singh Jagpal, Executive Director (Non-Life), IRDAI & Member of Stakeholders' Committee – Chairperson;
- ii) सुश्री जे. मीना कुमारी, कार्यकारी निदेशक (जीवन), आईआरडीएआई और बीमा सुगम की समिति के संचालन की सदस्य - सदस्य,
Ms. J. Meena Kumari, Executive Director (Life), IRDAI & Member of Operations of Committee of BIMA Sugam – Member,

- iii) अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम – सदस्य
Chairman, Life Insurance Corporation of India – Member
- iv) सीईओ, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड – सदस्य
CEO, HDFC Life Insurance Company Ltd. – Member
- v) सीएमडी, भारतीय साधारण बीमा निगम – सदस्य
CMD, General Insurance Corporation of India – Member
- vi) सीएमडी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड – सदस्य
CMD, New India Assurance Company Ltd. – Member
- vii) सीईओ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड – सदस्य
CEO, ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. – Member
- viii) सीईओ, आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड – सदस्य
CEO, Aditya Birla Health Insurance Company Ltd. – Member
- ix) श्री एल. विश्वनाथन, सदस्य, बीमा सलाहकार समिति – सदस्य
Mr. L. Viswanathan, Member, Insurance Advisory Committee – Member
- x) श्री इंद्रनाथ बिष्णु, पार्टनर, सिरिल अमरचंद मंगलदास एडवोकेट्स और सॉलिसिटर – सदस्य
Mr. Indranath Bishnu, Partner, Cyril Amarchand Mangaldas Advocates & Solicitors – Member
- xi) श्री दीपक सोमाइठाकुर, प्रबंधक (आईटी), आईआरडीएआई - सदस्य संयोजक
Mr. Deepak Somaithakur, Manager (IT), IRDAI – Member Convenor

3. टास्क फोर्स आदेश निर्गमन के 1 माह की अवधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
The Task Force would submit the Report within a period of 1 month of issuance of the Order.

4. इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।
This has approval of the Competent Authority.

जगन्नाथम
मुख्य महाप्रबंधक (सा. प्रशा. & मा. सं.) / C.G.M (GA & HR)